

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 652 / 14

संस्थापन दिनांक:-22 / 09 / 14

फाईलिंग नं. 233504004372014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रामनाथ पिता उमराव विश्वकर्मा
उम्र 55 वर्ष, निवासी अम्बाड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 03.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.08.2014 को समय शाम करीब 05:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत प्रार्थी के घर के सामने ग्राम जम्बाड़ा पर आहत बाजीराव को लकड़ी से मारपीट कर तथा फरियादी शेरू को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2014 को शाम 5 बजे फरियादी उसके पिता के साथ घर में था। तभी उसके घर के सामने अभियुक्त आया और उसे कहा कि तुमने मेरे लड़के से क्या कहा जिस पर उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लड़के से कुछ नहीं कहा। इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे मादरचोद बहनचोद कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। उसके पिता बाजीराव भी घर के सामने आये तो अभियुक्त ने उन्हें भी मां बहन की गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने लकड़ी से उसके पिता बाजीराव को बांयी पसली तरफ मारा तथा उसे दांत से दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, बांये कंधे एवं ओंठ पर चाब दिया। अभियुक्त ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 694 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी शेरू का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से एवं आहत बाजीराव से राजीनामा न होने से अभियुक्त का धारा 323, 324 भा.द.सं. के आरोप में विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.08.2014 को समय शाम करीब 05:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत प्रार्थी के घर के सामने ग्राम जम्बाड़ा पर आहत बाजीराव को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान फरियादी शेरू को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 आहत बाजीराव (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना ग्राम अंबाड़ा स्थित उसके घर की आंगन की दोपहर 2.30 बजे की है। घटना के समय अभियुक्त के लड़के चैतराम ने उसे हाथ मुक्के लात से मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना के समय रामनाथ को आते देखा था लेकिन रामनाथ ने उसके साथ क्या किया उसे नहीं पता और जब उसे होश आया तो उसके लड़के शेरू ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त रामनाथ ने उसके साथ मारपीट की और उसके ओठ, कंधे, छोटी अंगुली में काट दिया था।

8 शेरू (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना ग्राम अंबाड़ा स्थित उसके घर के सामने की शाम 4-5 बजे की थी। घटना के समय उसके पिता एवं अभियुक्त की लड़ाई हो रही थी जिसमें वह बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त ने लाठी से से उसके कंधे पर मारा उसने लाठी पकड़ी तो अभियुक्त ने उसकी दांयी हथेली की छोटी अंगुली, बांये कंधे एवं ओठ पर काट दिया। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके पिता बाजीराव को लाठी से मारा था। साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) थाना आमला में करवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया था।

9 बाजीराव (अ.सा.-3) ने अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह गलत होना बताया है कि अभियुक्त रामनाथ ने उसके सामने उसके लड़के शेरू (अ.सा.-2) को मारपीट किया था और दांत से काट लिया था। उक्त साक्षी ने यह भी गलत होना बताया है कि जब वह बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त रामनाथ ने उसे लाठी से मारपीट किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने अभियुक्त रामनाथ के लड़के चैतराम के द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना बताया है। शेरू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसकी अभियुक्त से लामा झूमी हुई थी जिससे वह गिर गया था और उसका ओंठ तथा हथेली कट गयी थी।

10 साक्षी चैतराम (अ.सा.-4), फूलवंती (अ.सा.-5) तथा दुर्गादास (अ.सा.-8) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। यद्यपि साक्षी चैतराम (अ.सा.-4) ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही अपने समक्ष होने से इनकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-5) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-6) पर उसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। दुर्गादास (अ.सा.-8) ने जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

11 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 17.08.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत शेरू का चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की बांयी भुजा पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार का कड़ा हुआ खरोच का निशान एवं दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार का गढ़ा हुआ खरोज का निशान पाया जाना बताते हुए उक्त दोनों चोट दांत के काटने से पहुंचायी जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दिनांक को ही आहत बाजीराव का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर साक्षी की पीठ के दाहिने तरफ एवं कंधे पर 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने उक्त दोनों आहतगण के संबंध में दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 को प्रमाणित भी किया है।

12 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि दिनांक 27.08.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 694/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 28.08.2014 को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया जाना तथा दिनांक 29.08.2014 को अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जप्त कर (प्रदर्श प्री-5) का जप्ती पंचनामा तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-6) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट किया है।

13 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त रामनाथ ने फरियादी शेरू (अ.सा.-2) के साथ वाद विवाद किया तभी उसके पिता बाजीराव (अ.सा.-3) आये और उन्होंने बीच बचाव किया तब अभियुक्त रामनाथ ने दोनों के साथ मारपीट की। जबकि फरियादी शेरू (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त रामनाथ एवं उसके पिता बाजीराव के मध्य विवाद होना और उनके विवाद में स्वयं के द्वारा बीच बचाव करना बताया है। जबकि बाजीराव (अ.सा.-3) ने अभियुक्त रामनाथ के लड़के चैतराम के द्वारा उसे मारपीट करना बताया है और चैतराम और रामनाथ के मौके से चले जाने के बाद उसके लड़के फरियादी शेरू के द्वारा शेरू को अभियुक्त रामनाथ के द्वारा मारपीट एवं दांत से काटा जाना बताया है। इस प्रकार फरियादी शेरू (अ.सा.-2) एवं बाजीराव (अ.सा.-3) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा दोनों साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं। इसके अतिरिक्त फरियादी शेरू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त रामनाथ के द्वारा उसके ओंठ एवं हथेली में दांत से काटे जाने से इनकार किया है। बाजीराव (अ.सा.-3) ने अभियुक्त रामनाथ के द्वारा उसे मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन ही नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में उसके बेटे चैतराम के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है।

14 फरियादी शेरू (अ.सा.-2) एवं बाजीराव (अ.सा.-3) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। उक्त साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं हैं। साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप भी न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। फरियादी शेरू ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त रामनाथ के द्वारा उसे दांत से काटे जाने से इनकार किया है। बाजीराव (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अपने बेटे शेरू को रामनाथ के द्वारा दांत से काटे जाने से इनकार किया है तथा बाजीराव (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त रामनाथ के द्वारा उसे मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त रामनाथ ने आहत बाजीराव को लकड़ी से मारपीट कर तथा फरियादी शेरू को दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त रामनाथ को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

15 प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)